रजिस्ट्री सं. डी.एल. 33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] दिल्ली, सोमवार, अगस्त 6, 2012/श्रावण 15, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 116
No. 134] DELHI, MONDAY, AUGUST 6, 2012/SHRAVANA 15, 1934 [N.C.T.D. No. 116

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अगस्त, 2012

सं. फा. 8(7)/सीओटी/एनएफडी/11-12/574-81. जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अतः, अब, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एलिवेटिड वायाडक्ट, एलिवेटिड व भूमिगत मेट्रो स्टेशन आदि, केन्द्रीय सचिवालय-कश्मीरी गेट कॉरिडोर की मेट्रो लाईन, एमआरटीएस प्रोजैक्ट, चरण-III के निर्माण के लिए 3.99 हैक्टेयर भूमि से 219 पेड़ों को हटाने संबंधी उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अनुसार छूट प्रदान करते हैं :—

(i) दिल्ली मेट्रो रेल निगम को 2190 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण लागत राशि 61,32,000 रुपये (इकसठ लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) पाँच वर्ष की अवधि के लिए गढ़ी मांडू में पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव के लिए डीडीओ एवं उप-वन संरक्षक (उत्तर) के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी ।

(ii) दिल्ली मेट्रो रेल निगम, वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी दिल्ली नगर निगम के सार्वजनिक शवेदाहों में प्रयोग हेतु उनके संबंधित कर्मचारियों को सौंपेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 6th August, 2012

No. F. 8(7)/COT/NFD/11-12/574-81.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary so to do in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to exempt an area of 3.99 Ha. from the provisions of sub-section (3) of Section 9 of the said Act for construction of elevated viaduct, elevated & underground metro stations etc. of Central Sectt.-Kashmere Gate Corridor of MRTS Project, Phase-III for removal of 219 trees subject to the condition that :—

(i) DMRC shall deposit the cost of compensatory plantation of 2190 saplings amounting to Rs. 61,32,000 (Rupees sixty one lakh and thirty two thousand only) in the form of Demand Draft in favour of DDO & Dy. Conservator of Forests (North) for its creation and maintenance at Garhi Mandu for a period of five years.

(ii) DMRC shall hand over the wood arising out of the felling of trees to officials concerned of MCD for its use in public crematoria in public interest.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJIV KUMAR, Secy.

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अगस्त, 2012

सं. फा. 6(14)/जीएसडीएल/आईटी/2010/4195-4204.—दिल्ली भू-आकाशीय आंकड़ा अवसंरचना (प्रबंधन, नियंत्रण, प्रशासन, सुरक्षा एवं संरक्षण) अधिनियम, 2011 (2011 का दिल्ली अधिनियम 6) की धारा 2(ग) के साथ पठित धारा 5 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मैसर्स जियो स्पेटेयल दिल्ली लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक निकाय को उक्त अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के अंतर्गत "कंपनी" के सभी कर्यों, कार्यों तथा कार्रवाईयां करने के लिए सशक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

अजय चगती, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

Delhi, the 6th August, 2012

No. F. 6(14)/GSDL/IT/2010/4195-4204.—In pursuance of Section 5 read with Section 2(C) of the Delhi Geo- Spatial Data Infrastructure (Management, Control, Administration, Security and Safety) Act, 2011 (Delhi Act 06 of 2011), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower M/s. Geo-Spatial Delhi Limited, a body registered under the Companies Act, to do all acts, deeds and actions of the "Company" under the said Act and the Rules framed thereunder.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

AJAY CHAGTI, Addl. Secy.

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अगस्त, 2012

सं. फा. 3(1)/एफ.ए.एस./यू.ए.पी.डब्ल्यू.डी./डी.एस.डब्ल्यू./2006-07/979-990.—दिल्ली राजपत्र में दिनांक 4 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या फा. सं. एफ-3(1)/एफ. ए. एस./यू ए. पी. डब्ल्यू डी./डी. एस. डब्ल्यू/2006-07/1880-1891 के अनुसार यथा प्रकाशित, 'दिल्ली विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता व निर्वाह भत्ता योजना, 2009' में दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सहर्ष निम्न संशोधन करती है :

नियम 7(अ) का संशोधन

कथित नियमावली के नियम 7(अ) में शब्दों में 'रुपये एक हजार प्रति माह' को शब्दों में 'रुपये एक हजार पाँच सौ प्रति माह' में बदला गया है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कालिङ तायेङ, विशेष सचिव (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 6th August, 2012

No. F. 3(1)/FAS/UAPWD/DSW/2006-07/979-990.—The Government of NCT of Delhi is pleased to make the following amendment in the rules in 'Financial Assistance to Persons with Special Needs, 2009', as published in the Delhi Gazette *vide* Notification No. F. 3(1)/FAS/UAPWD/DSW/2006-07/1880-1891, dated November 4, 2009 :—

Amendment to Rule 7(a)

In rule 7(a) of the said Rules, for the words "Rs. one thousand per month" the words "Rs. one thousand five hundred per month" shall be substituted.

The above amendment shall be effective from 1st April, 2012.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

KALING TAYENG, Spl. Secy. (Social Welfare, Women & Child Development)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.